

-: टेण्डर/निविदा सूचना :-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 परिवहन निगम, हरदोई क्षेत्र के बस स्टेशन हरदोई पर निर्मित दुकान के किराये हेतु न्यूनतम आरक्षित मासिक किराये की धनराशि अथवा इससे अधिक प्राप्त मासिक किराया एवं प्रतिभूति की धनराशि रूपया 3,32,832/- के आधार पर निम्नलिखित विवरण के अनुसार आनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। जिसका विवरण निम्नवत् है:-

निविदा प्रपत्र का मूल्य
प्रत्येक निविदा की अर्नेस्ट मनी

रूपया 200+36 (G.S.T.) = 236/- मात्र प्रति निविदा प्रपत्र।
रूपया 10,000/- (दस हजार) का बैंक ड्राफ्ट जो क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0राज्य सड़क परिवहन निगम, हरदोई के पक्ष में देय होगा।

दुकान की प्रतिभूति की धनराशि

रूपया 3,32,832/- (तीन लाख बत्तीस हजार आठ सौ बत्तीस मात्र) का बैंक ड्राफ्ट के रूप में जो क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0राज्य सड़क परिवहन निगम, हरदोई के पक्ष में देय होगा, को निविदा के साथ क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, उ0प्र0परिवहन निगम हरदोई क्षेत्र में जमा करना होगा।

ई-टेण्डर/निविदा का दिनोंक व समय
निविदा खोले जाने का दिनोंक व समय

22.05.2018 (दिन मंगलवार) तक अपराह्न 16:00 बजे तक।
23.05.2018 (दिन बुधवार) को 12:00 बजे, क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, उ0प्र0परिवहन निगम, हरदोई क्षेत्र।

उल्लिखित दुकानों का आवंटन 05 वर्ष की अवधि के लिये किया जायेगा, दुकान अनुबन्ध तिथि से प्रत्येक अगले वर्ष के लिये मासिक किराये में 10 प्रतिशत की वृद्धि स्वयमेव की जाती रहेगी। प्रत्येक दुकान हेतु आवंटी द्वारा अपने व्यय पर विद्युत कनेक्शन लेना होगा, निगम द्वारा विद्युत सुविधा देय नहीं होगी, साथ ही दुकानों में किसी प्रकार का पक्का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

स्थान	दुकानों की संख्या	नीलाम होने वाली दुकानों का विवरण	न्यूनतम आरक्षित धनराशि	दुकानों में प्रतिबन्धित व्यवसाय
डी0एम0 चौराहे से नुमाईश चौराहे की ओर जाने वाली सड़क के बायीं ओर (हरदोई बस स्टेशन के पीछे की ओर) स्थित दुकानें	01 दुकान (9X20 फिट)	दुकान नं० - 11 (रिक्त दिनोंक 11.03.2018 से)	4430.00	01. ज्वलनशील पदार्थ का भण्डार एवं बिक्री। 02. आवासीय। 03. वाहन मरम्मत कार्यशाला 04. वाहन कलपुर्जों का भण्डार एवं बिक्री। 05. नशीले पदार्थ का भण्डार एवं बिक्री। उपरोक्त के अतिरिक्त ऐसा अन्य प्रयोग जो कि निगम/प्रदेश/देश के हित/सुरक्षा की दृष्टि से अथवा किसी विधि से अनुमन्य न हो।

1. प्रत्येक दुकान के लिये पृथक-पृथक टेण्डर डाले जायेंगे, निविदा/टेण्डर दिनोंक 23.05.2018 की अपराह्न 16:00 बजे तक वेबसाईट से अपलोड किये जा सकते हैं तथा निविदा शुल्क निगम कोष में जमा कर जमा रसीद एवं अर्नेस्ट मनी एवं प्रतिभूति की धनराशि का उल्लिखित बैंक ड्राफ्ट क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय हरदोई में दिनोंक 24.05.2018 को निविदा खुलने से पूर्व कार्यालय में क्षेत्रीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा आधार कार्ड, पैन कार्ड, जी0एस0टी0 से सम्बन्धित प्रपत्र, चाल-चलन का सत्यापन सक्षम पुलिस अधिकारी से कराकर प्रस्तुत करना होगा।
2. सेवाकर/जी0एस0टी0 एवं अन्य करों में देयता बनती है, तो निविदा दाता द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा मासिक किराये के साथ में जमा किया जायेगा।
3. जिन निविदादाता की निविदा अहं पाये जाने के उपरान्त स्वीकृत की जायेगी उसको क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0राज्य सड़क परिवहन निगम, हरदोई क्षेत्र के साथ एग्रीमेण्ट बाण्ड भरना होगा, एग्रीमेण्ट हेतु स्टाम्प पेपर सम्बन्धित निविदादाता को स्वयं के व्यय पर उपलब्ध कराया जायेगा।
4. किराया अग्रिम रूप से प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जमा करना अनिवार्य होगा, विलम्ब की दशा में मासिक लाईसेन्स फीस के 1/20 वां अंश के बराबर की राशि आर्थिक दण्ड प्रति विलम्ब दिवस की दर से दण्ड की वसूली की जायेगी, विलम्ब दिवस माह की 11 तारीख से आगणित होगा।
5. तीन माह तक लगातार समय पर किराया जमा न करने की दशा में ठेका निरस्त करते हुए प्रतिभूति की धनराशि जब्त करने की कार्यवाही की जायेगी तथा शासकीय देयकों की वसूली आवंटी की सम्पत्ति से भूराजस्व की भाँति की जायेगी।
6. दुकानों से सम्बन्धित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जनपद हरदोई में स्थित रहेगा।
7. परिवहन निगम को पट्टे में संशोधन/परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा।
8. निविदा के मामले में उत्पन्न किसी विवाद पर निविदा समिति का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

कमरा: 02 पर

9. यदि दुकान ठेकेदार अनुबन्ध के पश्चात दुकान संचालित रखने का इच्छुक न हो तो आवश्यक होगा कि वह तीन माह पूर्व लिखित नोटिस देकर दुकान बन्द करें। यदि दुकान ठेकेदार द्वारा अचानक बिना कोई कारण बताये ही दुकान बन्द कर देता है तो प्रतिभूति के मद में निगम कोष में जमा कराई गई धनराशि से कटौती करने अथवा दुकान का अनुबन्ध समाप्त कर प्रतिभूति की धनराशि जब्त करने का अधिकार क्षेत्रीय प्रबन्धक, हरदोई में निहित होगा।
10. उपरोक्त के अतिरिक्त निविदा निस्तारित किये जाने हेतु परिवहन निगम द्वारा निर्गत समस्त नियमों एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उपरोक्त प्रस्तावित कार्यवाही को बिना कारण बताये स्थगित/निरस्त कर सकते हैं। अवकाश की अवधि में यह कार्य अगले कार्य दिवस में सम्पन्न कराया जायेगा।

(एम0के0 त्रिवेदी)
क्षेत्रीय प्रबन्धक, हरदोई।

कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक

उ०प्र०राज्य सड़क परिवहन निगम, हरदोई क्षेत्र।

पत्रांक:- 3959

H0क्ष0/क्ष0प्र0/सामा0-नीलामी/हर0/2018

दिनांक:- 01/05/2018

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, जनपद हरदोई।
2. मुख्य प्रधान प्रबन्धक (संचालन), उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
3. प्रधान प्रबन्धक (विपणन) परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
4. सहायक प्रबन्धक (एम0आई0एस0), परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त नीलामी विज्ञापित को परिवहन निगम, मुख्यालय लखनऊ की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम। (ईमेल द्वारा)
6. सेवा प्रबन्धक, उ0प्र0परिवहन निगम हरदोई क्षेत्र।
7. सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (वित्त/कार्मिक), उ0प्र0 परिवहन निगम, हरदोई क्षेत्र।
8. सहायक विधि अधिकारी, उ0प्र0परिवहन निगम हरदोई क्षेत्र।
9. प्रभारी एम0आई0एस0सेक्शन क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय उ0प्र0 परिवहन निगम हरदोई को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त निविदा सूचना को परिवहन निगम के मैसेज बोर्ड एवं ईमेल tender@upsrtc.com पर अपलोड करें।
10. समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम, हरदोई क्षेत्र को प्रचार-प्रसार हेतु तथा इस निर्देश से कि उक्त निविदा को स्टेशन के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करायें।
11. स्थानीय सम्पादक, दैनिक जागरण/अमर उजाला/हिन्दुस्तान समाचार पत्र हरदोई को इस आशय के साथ कि उक्त निविदा को समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
12. नोटिस बोर्ड क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय/डिपा कार्यालय हरदोई क्षेत्र।

क्षेत्रीय प्रबन्धक, हरदोई।